आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 258 / 13–14

श्रीमती राधा देवी एवं अन्य वनाम् युगेश्वर सिंह एवं अन्य

आदेश

आवेदिका श्रीमती राधा देवी पति स्व० राम सिद्व शर्मा, ग्राम+थाना करपी, जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का नापी कराकर पिलरींग करने एवं बेदखली से रोकने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम–करपी, थाना नं० 201 तौजी नं० 688 जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहद्दी
625	3736	38 डी०	उ०–राधा देवी वो गमा सिंह, द०–युगेश्वर सिंह वो करहा, पु०–मोतीलाल भगत व अशोक महतो,प०–राजेन्द्र प्रसाद सिंह व पईन।

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) आवेदिका का भूमि अपने पिता स्व० वासुदेव सिंह से बख्शीसनामा सब रजिस्ट्री जहानाबाद से दिनांक 08.04.1963 से प्राप्त है।

(2) विवादित भूमि रामसुन्दर सिंह,किसुन कुमार सिंह और सदाफल सिंह के नाम से पुराना खतियान के नाम दर्ज है एवं कुल रकवा 61 डी० है।

(3) खतियानी रैयत की वंशावली निम्न है:–

स्व० कुंज बिहारी सिंह

- स्व० रामसुन्दर सिंह
  - स्व० वासुदेव सिंह
    - राधा देवी (एक मात्र सुपुत्री)
  - स्व० राजदेव सिंह (नावल्द)
  - स्व० सहदेव सिंह पत्नी फुलकुँवर देवी
    - स्व० बिन्देश्वरी सिंह (एक मात्र सुपुत्र) पत्नी तिलेश्वर कुँवर
- स्व० किशुन कुमार सिंह चम्पा देवी (एक मात्र सुपुत्री) राजेन्द्र प्रसाद सिंह
- सदाफल सिंह (नावल्द)

(4) स्व० सदाफल सिंह नावल्द थे जिससे उनका सम्पति दोंनों भाई खानगी ड़योढ़बंदी के तहत बॉट लिये और अपने–अपने प्राप्त भूमि पर जोत–कोड़ आवाद

करते चले आ रहे है।
(5) आपसी बॅटवारा में प्लॉट नं० 3736 में 38 डी० भूमि राम सुन्दर सिंह को मिला, इसमें से सिर्फ 22 डी० भूमि किसुन कुमार सिंह को मिला,इसी तरह से दोंनों हिस्सेदार अलग–अलग दखल कब्जा में आये।
(6) विवादित भूमि पर आवेदिका दखल काबिज होकर जोत–कोड़ आवाद करती चली आ रही है और राजस्व का भी भुगतान कर रही है।
(7) वासुदेव सिंह ने दिनांक 08.04.1963 को अपना सभी प्लॉटों में 1/3 (एक तिहाई) हिस्सा रजिस्ट्री दान पत्र के द्वारा अपनी सुपुत्री राधा देवी को बख्शीस कर दिया। साथ ही साथ राजेदव सिंह ने भी अपना 1/3 (एक तिहाई) हिस्सा बख्शीस राधा देवी को कर दिये जो प्लॉट नं० 3736 रकवा 38 डी० पर आवेदिका दखल कब्जा में चली आ रही है।
(8) आवेदिका के अपने पिता से प्राप्त भूमि को किसी भी फरीकैन द्वारा विवादित भूमि पर वाद दर्ज नही किया गया साथ ही साथ चम्पा देवी व उनके पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह के द्वारा भी वाद दर्ज नही किया गया है।
(9) प्रतिवादी दिनांक 14.12.12 को एक वसिका 9 डी० का चम्पा देवी के सुपुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह से खरीद बतलाकर दिनांक 30.10.13 को तकरारी भूमि को जोत कोड करने पर आमदा हो उठे तथा मना करने पर नही मान रहे है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–
(1) आवेदिका द्वारा वाद में अवश्यक पक्षकार को पक्षकार नही बनाया गया है जिस कारण वाद खारिज करने योग्य है।
(2) विवादित भूमि पुराना सर्वे अनुसार कुल रकवा 61 डी० है जबकि आवेदिका द्वारा भूमि का कुल रकवा 60 डी० बताया गया है।
(3) विपक्षी आवेदिका के चचेरी फुआ चम्पा देवी के पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिह से निबंधित वसिका संख्या 5376 दिनांक 14.12.12 से खाता नं० 625 प्लॉट नं० 3736 रकवा 09 डी० खरीद किये है।
(4) आवेदिका द्वारा दिये गये वंशावली त्रुटिपूर्ण है जिसमें स्व० सहदेव सिंह के पुतोह तिलेश्वर कुँवर का नाम अंकित नहीं है।
(5) विपक्षी के भू विक्रेता की मॉ चम्पा देवी को पिता द्वारा निबंधित पत्र से उक्त भूमि के अलावे अन्य भूमि प्राप्त है जिसे दाखिल खारिज कराकर राजस्व का भुगतान कर रहे है।
(6) विवादित भूमि के सन्दर्भित भूमि की चौहदी में दक्षिण तरफ विपक्षी का नाम अंकित है जिससे स्पष्ट है कि आवेदिका के भूमि के सदंर्भित में प्रार्थी की भूमि उसी खाते प्लॉट में अवस्थित है जो दुसरे हिस्सेदारों से खरीदी भूमि है। ऐसे में अगर आवेदिका को हिस्से से प्राप्त भूमि की रकवा में कोई कमी है तो उन्हें अपने अन्य हिस्सेदारों को पक्षकार बनाना चाहिए न कि केता (विपक्षी) को।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदिका ने विवादित भूमि पर दावा दिनांक 08.04.63 के बख्शीसनामा के आधार पर किया है। उक्त बख्शीसनामा को आवेदिका के पिता वासुदेव सिंह से प्राप्त है।

विवादित भूमि खाता 625 प्लॉट नं० 3736 का खतियान रामसुन्दर सिंह,किसुन सिंह वो सदाफल सिंह बहिस्सा बराबर एवं मु० मराछो कुँवर एक अंश दर्ज और कुल रकवा 61 डी० है। इस प्रकार विवादित भूमि जिसका कुल रकवा 61

डी० है,में $30\frac{1}{2}$ – $30\frac{1}{2}$ डी० रामसुन्दर सिंह वो किसुन सिंह को प्राप्त हुआ परन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त भूमि में 38 डी० रामसुन्दर सिंह को मिला वो 22 डी० किसुन कुमार सिंह को मिला जिसे आवेदिका के द्वारा दाखिल बख्शीसनामा के आलोक में माना जा सकता है। रामसुन्दर सिंह के तीन पुत्र वासुदेव सिंह,राजेदव सिंह वो सहदेव सिंह हुए। इस प्रकार उपरोक्त 38 डी० भूमि में तीनों भाईयों का अधिकार वो हिस्सा हुआ जिसमें से वासुदेव सिंह वो राजदेव सिंह ने अपना–अपना हिस्सा अर्थात् कुल 26 डी० (लगभग) भूमि आवेदिका को बख्शीस कर दिया है। उक्त दोंनों बख्शीस नामा में कोई चौहद्दी अंकित नही है। दुसरी ओर विपक्षी युगेश्वर सिंह ने दिनांक 14.12.12 को किसुन सिंह के नाती राजेन्द्र सिंह से उपरोक्त खाता खेसरा की भूमि में 9 डी० रकवा कय किया है। आवेदिका ने युगेश्वर सिंह के अलावा किसी अन्य ब्यक्ति को द्वितीय पक्षकार भी नहीं बनाया है जिससे यह साबिति हो सके कि किशुन सिंह या उनके वंशज के द्वारा विवादित प्लॉट किसी अन्य ब्यक्ति को बिकी किया गया है।

आवेदिका ने विवादित भूमि के 38 डी० भूमि पर नापी कराकर पीलरींग करने का अनुरोध किया है जबकि उनके द्वारा कागजात मात्र 26 डी० (लगभग) का हीं जमा किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदिका द्वारा विवादित भूमि मॉगी गयी अनुतोष को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है,वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।